

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक- एफ 3-25/2018/12/1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04/07/2018

मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि.
6 कि.मी. सागर रोड,
ढबरी, छतरपुर,
जिला- छतरपुर, म0प्र0।

विषय:- ग्राम माचीगढ़, जतारा, टीकमगढ़ के वनकक्ष क0-पी-262 के रकबा 19.000 हे0 क्षेत्र पर पायरोफिलाईट/डायस्पोरखनिज का खनिपट्टा मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि.।

आपके द्वारा प्रस्तुत खनिपट्टा आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2012 जिला-टीकमगढ़ के वन परिक्षेत्र जतारा वन कक्ष क्रमांक-पी-262 के रकबा 19.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज पायरोफिलाईट/डायस्पोर के लिए 30 वर्ष की अवधि हेतु उत्खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु योग्य पाया गया है।

निर्देशानुसार इस संबंध में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम-18(2) के तहत संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0, भोपाल से अनुमोदित खनन योजना एवं आवश्यक पर्यावरण अनुमति 06 माह की अवधि में प्रस्तुत करें। प्रकरण में वन भूमि समाहित है, अतः वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही कर वांछित अनुमति प्रस्तुत करें।

उपरोक्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर उत्खनिपट्टा स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

(राजेश कुमार कौल)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग
भोपाल, दिनांक

पृ0 क्र. एफ 3-25/2018/12/1
प्रतिलिपि:-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़, मध्यप्रदेश।
3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक- एफ 3-25/2018/12/1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04/07/2018

मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि.
6 कि.मी. सागर रोड,
ढबरी, छतरपुर,
जिला- छतरपुर, म0प्र0।

विषय:- ग्राम माचीगढ़, जतारा, टीकमगढ़ के वनकक्ष क0-पी-262 के रकबा 19.000 हे0 क्षेत्र पर पायरोफिलाईट/डायस्पोरखनिज का खनिपट्टा मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि.।

आपके द्वारा प्रस्तुत खनिपट्टा आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2012 जिला-टीकमगढ़ के वन परिक्षेत्र जतारा वन कक्ष क्रमांक-पी-262 के रकबा 19.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज पायरोफिलाईट/डायस्पोर के लिए 30 वर्ष की अवधि हेतु उत्खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु योग्य पाया गया है।

निर्देशानुसार इस संबंध में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम-18(2) के तहत संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0, भोपाल से अनुमोदित खनन योजना एवं आवश्यक पर्यावरण अनुमति 06 माह की अवधि में प्रस्तुत करें। प्रकरण में वन भूमि समाहित है, अतः वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही कर वांछित अनुमति प्रस्तुत करें।

उपरोक्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर उत्खनिपट्टा स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

(राजेश कुमार कौल)
अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग
भोपाल, दिनांक

पृ0 क. एफ 3-25/2018/12/1
प्रतिलिपि:-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़, मध्यप्रदेश।
3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग